# जूट किसानों को और राहत

## अनाज व चीनी उत्पादों के लिए जूट पैकेजिंग की अनिवार्यता अवधि बढ़ी

नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को अनाजों और चीनी उत्पादों की जूट की बोरियों में पैकेजिंग की अनिवार्यता को जून 2018 में समाप्त होने वाले वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट में कहा कि इससे करीब 3.7 लाख कामगारों और 40 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जूट मिल के कामगारों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु उत्पाद नियंत्रण और आपूर्ति ऑर्डर को आपस में लिंक करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक विशेष प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने जूट उद्योग के विविधीकरण पर भी जोर दिया और कहा कि जूट जियो-टेक्सटाइल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और जूट को पर्यावरण अनुकूल फाइबर के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

मंत्रिमंडल के फैसले का लाभ पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के कामगारों और किसानों को खासतौर से मिलेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सीसीईए ने जूट पैकेजिंग मैटेरियल (जेपीएम) अधिनियम-1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग नियम का विस्तार किया है।

कानून के मुताबिक 90 फीसदी अनाज और 20 फीसदी चीनी उत्पादों को जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है कि यदि जूट उद्योग जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो, तो अनाजों की 100 फीसदी पैकेजिंग जूट की बोरियों में की जाए। सरकार ने कहा कि जूट उद्योग के विकास के लिए वह संगठित प्रयास कर रही है। एजेंसी

Amar Ujala

4/1/18